न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला नागौर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :— श्री बाबूलाल जाट (RAS)
राजस्व वाद संख्या 86/2019 **{RCMS 2019/00161}**

वादी

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान

बनाम

प्रतिवादी

1. उमाराम पुत्र उगमाराम जाति मेघवंशी नि. रिक्शा बास, धनकोली तहसील डीडवाना जिला नागौर

दावा :— अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान अभिधारी अधिनियम 1955

उपस्थित :— राज पैरोकार तहसीलदार कुचामनसिटी।

निर्णय

दिनॉक :— 11.10.2021

प्रकरण का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि जमाबन्दी नकल सम्वत 2073–2076 अनुसार ग्राम दीपपुरा के खसरा नम्बर 261 रकबा 1.84 हैक्टर में से 0.80 पर प्रतिवादी की अन्य सह खातेदारान के साथ संयुक्त रूप से 1/54 हिस्सा दर्ज चली आ रही है, प्रतिवादी ने उक्त खसरान की भूमि मे 0.80 हैक्टर में बिना विहित प्राधिकारी की अनुमति के पानी का आर ओ प्लान्ट लगाकर निर्माण कर कृषि भूमि का अकृषि उपयोग कर लिया है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 का स्पष्ट उल्लंघन है, वादी के पास इस आशय की सूचना दी है कि प्रतिवादी ने उपरोक्त भूमि में कृषि भूमि को अकृषि में परिवर्तित कर दिया है, पटवारी हल्का दीपपुरा ने पेश की, जिस पर प्रतिवादी को वादी द्वारा नोटिस दिया गया, परन्तु प्रतिवादी कृषि भूमि को अकृषि में परिवर्तित किये जाने की विहित प्राधिकारी की अनुमति प्रस्तुत करने में असफल रहा है, प्रतिवादी को उक्त कृषि भूमि को विहित प्राधिकृत अधिकारी की पूर्वानुमति के बिना अकृषि उपयोग करने का अधिकार नहीं है, बिनाय दावा दिनॉक 11.07.2019 को वादी के पास विचाराधीन प्रकरण अन्तर्गत धारा 90 R.L.R.Act सं. 17/2019 प्रस्तुत होने पर उत्पन्न हुआ है, वादी की इस्तदुआ है कि प्रतिवादी ने बिना विहित प्राधिकृत अधिकारी की अनुमति के कृषि भूमि को अकृषि में परिवर्तित कर दिया है [illegible] उपरोक्त खसरा नम्बर 261 में प्रतिवादी के हक हिस्से को राजकीय दर्ज [illegible] वादी को कब्जा सुपुर्द किये जाने के आदेश फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.12.21 17:16:49 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये अखबार [illegible] सम्मन जारी कर तलबी की गई, दिनॉक 27.02.2020 दैनिक नवज्योति अंक के पेज सं. 9 पर सम्मन प्रकाशित होकर प्रति शामिल मिसल की गई, प्रतिवादीगण को आवाजे लगाई गई, जो अनुपस्थित रहे जिससे प्रतिवादीगण के विरूद्व एक–पक्षीय कार्यवाही

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

अमल में लाई गई। दस्तावेजी साक्ष्य में धारा 90 ए के तहत कार्यवाही रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति, जमाबन्दी नकल सम्वत 2073–2076 की प्रमाणित प्रति, एवं चालू जमाबन्दी की नकल प्रस्तुत की।

प्रकरण में राज पैरोकार की बहस सुनी गई, जिन्होने वाद–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए उपरोक्त भूमि को राजकीय दर्ज कर कब्जा सुपुर्द किये जाने के आदेश हेतु निवेदन किया। रिपोर्ट 90 ए कार्यवाही अनुसार ग्राम दीपपुरा के खसरा नम्बर 261 रकबा 1.84 हैक्टर में प्रतिवादी द्वारा बिना सक्षम अधिकारी अनुज्ञा प्राप्त किये पानी का आर.ओ.प्लान्ट लगाकर निर्माण कर कृषि भूमि को अकृषि प्रयोजन काम में लिया है, जमाबंदी नकल सम्वत 2075–2078 ग्राम दीपपुरा के खसरा नम्बर 261 में प्रतिवादी की अन्य सह खातेदारान के साथ संयुक्त रूप से 1/54 हिस्सा भूमि संयुक्त खातेदारी में दर्ज चली आई, जमाबंदी नकल सम्वत 2075–78 अनुसार निम्नवत प्रविष्टि दर्ज है :–

ग्राम का नाम :- दीपपुरा	अंतिम चोसला आधार सम्वत :- 2075 - 2078 जमाबंदी 2075 (वर्ष 2018) से स्थायी
पटवार हल्का :- दीपपुरा	भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
भू.अभि.नि. :- पांचवा	क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर
तहसील :- कुचामन	खाता संख्या नया :- 9
जिला :- नागौर	खाता संख्या पुराना :- 119

काश्तकार का नाम:-

1. उमाराम पुत्र उगमाराम हिस्सा- 1/54 जाति- मेघवंशी सा. रिक्सा बास धनकोली तह. डीडवाना खातेदार
2. खेताराम पुत्र मांगीलाल हिस्सा- 223/5400 जाति- रेगर सा. लिचाणा खातेदार
3. गंगादेवी पत्नि भंवरलाल हिस्सा- 53/108 जाति- रेगर सा. कुचामनसिटी खातेदार
4. सोहन पुत्र दयाराम हिस्सा- 809/1800 जाति- रेगर सा. रेगरपाडा बडा तह. व जिला दौसा खातेदार,

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण		कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
547/261	0.0550	बारानी 3	0.0550	0.15		स्वीक्रत नामांतरकरण : 651 14/02/2019 रहननामा	
						स्वीक्रत नामांतरकरण : 681 17/02/2020 रहनमुक्त	
						स्वीक्रत नामांतरकरण : 688 22/06/2020 न्याया. आदेश	
कुल खसरे - 1	0.0550		0.0550	0.1500			

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

ग्राम का नाम :- दीपपुरा	अंतिम चोसला आधार सम्वत :- 2075 - 2078 जमाबंदी 2075 (वर्ष 2018) से स्थायी
पटवार हल्का :- दीपपुरा	भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
भू.अभि.नि. :- पांचवा	क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर
तहसील :- कुचामन	खाता संख्या नया :- 233
जिला :- नागौर	खाता संख्या पुराना :- 9

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.12.21 17:16:49 IST
Reason: SelfAttested

काश्तकार का नाम:-

1. उमाराम पुत्र उगमाराम हिस्सा- पूर्ण जाति- मेघवंशी सा. रिक्सा बास धनकोली तह. डीडवा[illegible]दार,

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण		कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
546/261	0.0350	बारानी 3	0.0350	0.10		नोट नं. 21 से दिनांक 05/07/2021 खसरा संख्या : 546/261 सभी	
						काश्तकार पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी के प्रार्थना	
						पत्र/200/2021 व कार्यालय तहसीलदार कुचामनसिटी के आदेश	

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

ग्राम का नाम :- दीपपुरा	अंतिम चोसला आधार सम्वत :- 2075 - 2078 जमाबंदी 2075 (वर्ष 2018) से स्थायी
पटवार हल्का :- दीपपुरा	भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
भू.अभि.नि. :- पांचवा	क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर
तहसील :- कुचामन	खाता संख्या नया :- 233
जिला :- नागौर	खाता संख्या पुराना :- 9

						क्रमांक/भू.अ./1085 दिनांक 29/06/2021 की अनुपालना
						में सम्पूर्ण खाते पर राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति का स्थगन
						तथा बेचान हस्तानान्तरण भारग्रस्त तथा कच्चा पक्का निर्माण
						नही करने का स्थगन आदेश है। नोट लगा हुआ है।
						स्वीक्रत नामांतरकरण : 688 22/06/2020 न्याया. आदेश
कुल खसरे - 1	0.0350		0.0350	0.1000		

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

प्रश्नगत खसरा 261 रकबा 1.84 हैक्टर को प्रकरण विचाराधीन रहते हुये खातेदारान के बंटवारा होकर नये खसरा नम्बर अंकित हुये जिसमें वादी के हक हिस्से की खसरा नम्बर 516 / 261 रकबा 0.0350 हैक्टर, खसरा नम्बर 547 / 261 रकबा 0.0550 हैक्टर में उमाराम पुत्र उगमराराम हिस्सा 1 / 54 खेताराम पुत्र मांगीलाल हिस्सा 223 / 5400 गंगादेवी पत्नी भंवरलाल हिस्सा 53 / 108 सोहन पुत्र दयाराम हिस्सा 809 / 1800 दर्ज हुई है। प्रतिवादी का अनुपस्थित रहना ही अपने आप में साबित है कि प्रश्नगत भूमि में उपरोक्त भूमि को बिना सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त किये अकृषि प्रयोजन प्रयोग में लिया है तथा पानी का आर.ओ.प्लांट लगाकर निर्माण कर लिया है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 का स्पष्ट उल्लंघन है। अतः उपरोक्त भूमि राजकीय दर्ज कर कब्जे राज लिये जाने हेतु वाद डिक्री पाया गया।

आदेश

ग्राम दीपपुरा के खसरा नम्बर 546 / 261 रकबा 0.0350 हैक्टर सम्पूर्ण तथा खसरा नम्बर 547 / 261 रकबा 0.0550 हैक्टर में उमाराम पुत्र उगमराराम हिस्सा 1 / 54 भूमि (तहसीलदार कुचामनसिटी के यहॉ प्रस्तुत 90 A में दर्शित भूमि) को राजकीय खाते में दर्ज कर कब्जे राज लिये जाने के आदेश दिये जाते है, तहसीलदार कुचामनसिटी को उपरोक्तानुसार पालना कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया जाता है। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे।

आदेश आज दिनॉक 11.10.2021 को सुरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.12.21 17:16:49 IST
Reason: SelfAttested

(बाबूलाल जाट RAS)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

डिक्री मुकदमा इन्तेहाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : **उपखण्ड अधिकारी** मुकाम : **कुचामन सिटी**

बइजलास : **बाबूलाल जाट (आर.ए.एस.)**

राजस्व वाद संख्या 86/2019 **{RCMS 2019/00161}**

वादी

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान

बनाम

प्रतिवादी

1. उमाराम पुत्र उगमाराम जाति मेघवंशी नि. रिक्शा बास, धनकोली तहसील डीडवाना जिला नागौर।

दावा :– अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान अभिधारी अधिनियम 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–बरू राज पैरोकार हाजिरी .... मिनजानिब मुदई रू–बरू श्री .... मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि ग्राम दीपपुरा के खसरा नम्बर 546/261 रकबा 0.0350 हैक्टर सम्पूर्ण तथा खसरा नम्बर 547/261 रकबा 0.0550 हैक्टर में उमाराम पुत्र उगमराराम हिस्सा 1/54 भूमि (तहसीलदार कुचामनसिटी के यहॉं प्रस्तुत 90 A में दर्शित भूमि) को कब्जे राज लिये जाने के आदेश दिये जाते है, तहसीलदार कुचामनसिटी को उपरोक्तानुसार पालना कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया जाता है। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे।

निज .... मुबलिग .... बाबत..................खर्चा इस मुकदमे के मय सूद शरह.... फीसदी सालाना आज की तारिख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक को 11.10.2021 को जारी की गई।

दस्तखत............ उपखण्ड अधिकारी
ओहदा............ कुचामन सिटी (नागौर)

मुदई	रूपयें	पैसे	मुदायलय	रूपयें	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालात नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकिल		
महन्ताना वकिल			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमिष्नर		
फीस कमिष्नर			बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोटः इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा इस दो फार्म का चाहे डिग्री के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.12.21 17:16:49 IST
Reason: SelfAttested